न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–6/विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0) बरेली।

CNR No UPBR010054212026

प्रथम **अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 591/2026**

1. शकील अहमद पुत्र जमील अहमद,
2. हुसन बानों पत्नी जमील अहमद,
3. जमील अहमद पुत्र एहसान बख्श व
4. नसीर अहमद पुत्र एहसान बख्श

समस्त निवासीगण ग्राम हरहरपुर मटकली, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0– 192/2026
धारा– 85, 115(2) बी0एन0एस0
व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम
थाना– बिथरीचैनपुर, जिला बरेली।

दिनांक 11.06.2026

थाना हाफिजगंज, जनपद बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 192/2026, धारा– 85, 115(2) बी0एन0एस0 व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम के प्रकरण में अभियुक्तगण **शकील अहमद, हुस्न बानो, जमील अहमद व नसीर अहमद** की ओर से अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

आवेदक/अभियुक्त **जमील अहमद** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के हाशिए पर अभियुक्त **जमील अहमद**, के सम्बन्ध में जमानत प्रार्थना पत्र पर **बल न देने का पृष्ठांकन** किया गया।

प्रश्नगत मामले में **अभियुक्तगण शकील अहमद, हुस्न बानो व नसीर अहमद** के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जा रही है।

संक्षेप में अभियोजन केस के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती मेहरून निशा पुत्र लियाकत हुसैन, के द्वारा दिनांक 09.04.2026 को थाना प्रभारी, थाना बिथरीचैनपुर, जिला बरेली, को इस आशय प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थिनी दिनांक 03.03.2026 को अपने मायके से अपनी ससुराल अपने पति के साथ ग्राम हरहरपुर मटकली थाना हाफिजगंज जिला बरेली गयी थी। यह लोग/मेरे ससुरालीजन मुझे बहलाकर अपने घर ले गये और कहा कि हम लोग अब तुम्हे बड़े ही लाड़–प्यार रखेगें और शिकायत का मौका नही देंगे तुम्हारी हर जायज मांग की पूर्ति करेगें जिस कारण मेरे माँ बाप ने मुझे

मेरी ससुराल भेज दिया लेकिन जैसे ही मैं अपनी ससुराल पहुंची इनका रवैय्या में सुधार न हुआ और मेरी सास हुस्नबानो मेरे ससुर जमील अहमद, पति शकील अहमद, नन्द फिजा देवर राशिद ने मुझे लात घूसों व डन्डों से मारा पीटा मेरे ससुर ने मेरे कपड़े फाड़ दिये इसी दौरान मार–पीट में मेरे पैर की हड्डी टूट गयी। तब इन लोगों ने मुझे इलाज हेतु दबाब में आकर अल्फा हास्पिटल व मेडिनोवा हास्पिटल में भर्ती कराया जहाँ इन्होंने डक्टरों से सांठ गाँठ कर मेरा ईलाज पूरा होने से पहले योजनाबद्ध तरीके से मेरी लाइफ बर्बाद करने की खातिर डिस्चार्ज करा दिया और घर ले जाकर फेंक दिया तभी मेरे ससुर दिल्ली चले गये, मेरे पति ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे प्राइवेट पार्ट/मलद्वार व पेशाब वाली जगह पर लकड़ी का डंडा डालकर मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और इस दौरान कमरे कि किबाड़े बन्द कर देता था और मेरे हाथ पैर बाँध देता था, जिसके सम्बन्ध में मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरे पति सास, नन्द, देवर व चचिया ससुर नसीर अहमद सभी ने एकराय होकर मुझे लाठी–डन्डों से मारा तोड़ा जिससे मेरे शरीर पर पसलियों में फ्रैक्चर हो गया, सीने में हड्डियों में, उल्टे हाथ में, रीड की हड्डी में सीधे हाथ में पीठ में व पैर में व शरीर के प्राइवेट पार्ट में खुली व गुम चोटे आयी हैं। तीन तलाक शब्द बोलकर घर से बाहर फेंक दिया– जैसे तैसे मैने हाथ पैर जोड़कर रात काटी। दिनांक 04.04.2026 को फोन करके अपने मायके वालों को बुलाया तब इन लोगों ने मेरा सारा स्त्रीधन छीनकर रख लिया और कैमरे से वीडिओं बनाकर घर से निकाल दिया। मैं अपने माँ बाप के साथ अपने मायके चली आई अब मैं अपना ईलाज करवा रही हूँ, तबीयत में थोड़ा सुधार होने के बाद मैं थाने पर प्रार्थना पत्र देने आयी हूँ। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रार्थिनी के आयी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाकर विपक्षीगण के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादिनी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 10.04.2026 को थाना बिथरीचैनपुर, जिला बरेली पर मु0अ0सं0–192/2026, अन्तर्गत धारा–85, 115(2), 76 बी0एन0एस0 व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम में अभियुक्तगण शकील अहमद, हुसन बानो, जमील अहमद, फिजा, राशिद व नसीर अहमद के विरूद्ध पंजीकृत की गई। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों के आलोक में तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवेदकगण/अभियुक्तगण उक्त मुकदमें में अभियुक्त है उक्त मुकदमें में विवेचना चल रही है तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण को पूरी आशंका है कि पुलिस थाना बिथरी चैनपुर आवेदकगण/अभियुक्तगण को उक्त मुकदमें में बन्द कर देगी इसलिए यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त शकील अहमद वादी मुकदमा का पति है, हुस्न बानों सास है, नसीर अहमद चचिया ससुर है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा परिवादनी से दहेज में किसी भी चीज की मॉग नहीं की गयी है और न ही परिवादनी के साथ मारपीट की गयी है। प्रार्थीगण ने परिवादनी का किसी भी प्रकार से उत्पीडन नहीं किया है। परिवादनी प्रार्थीगण से शहर में रहने का दबाव बनाती है क्योंकि वह आधुनिक परिवेश की महिला है पारिवारिक बन्धनों में नहीं रहना चाहती है इसलिए उसने झूठे तथ्यों पर एक मुकदमा अ0सं0– 382/2023 धारा–498ए,376,511,504,506,325,354 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रति0 अधिनियम का थाना बिथरी चैनपुर में दर्ज कराया था जिसमें प्रार्थीगण माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर है।

परिवादनी उक्त मुकदमें में आवेदकगण/अभियुक्तगण को जेल भिजवाना चाहती है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रार्थीगण द्वारा परिवादनी के साथ कभी कोई घटना कारित नहीं की है। परिवादनी ने प्रार्थीगण पर झूठे व घृणित आरोप लगाये है। आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी संज्ञेय अपराध की बावत किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण संभ्रात परिवार का व्यक्ति हैं। कथित घटना की रिपोर्ट काफी देरी से व सोच समझकर लिखायी गयी है तथा देरी का कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना का कोई समय अंकित नहीं है इससे अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। कथित घटना अप्राकृतिक व अविश्वसनीय है। परिवादनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया है कि दिनॉक 03.04.2026 को आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा मारने के कारण उसकी पसलियों में फ्रैक्चर हो गया तथा शरीर पर चोटें आयी है पूर्णतया गलत है क्योंकि दिनॉक 04.04.2026 को आवेदकगण/अभियुक्तगण के घर पंचायत हुई जो कि सी0सी0टी0वी0 कैमरे में रिकार्ड है उसमें परिवादनी के कोई चोट नहीं है। पुलिस कई बार आवेदकगण/अभियुक्तगण के घर आ चुकी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने का कोई भय नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। आवेदकगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उचित जमानती दाखिल करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को विस्तारपूर्वक सुना तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र तथा उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रश्नगत मामला सात वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय अपराध से संबंधित है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त का दोष सिद्ध संबंधी कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। प्रश्नगत मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा दी गई **विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0बी0आई0 एवं अन्य व श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 राज्य याचिका संख्या 6400/2025 निर्णीत दिनांकित 12 अगस्त 2025** में दिये गये दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण **शकील अहमद, हुस्न बानो व नसीर अहमद** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **शकील अहमद, हुस्न बानो व नसीर अहमद** का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मु0अ0सं0–192/2026, धारा–85, 115(2) बी0एन0एस0व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम) बी0एन0एस0, थाना बिथरीचैनपुर, जिला बरेली के प्रकरण में, उक्त मामले की विवेचना पूर्ण

होने तक आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा **मु0–50,000– रूपये (पचास हजार रूपये प्रत्येक)** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की **एक–एक** प्रतिभू, सम्बंधित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने तक अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण दौरान जमानत, साक्षीगण को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगे।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के स्थाई या अस्थाई रूप से निवास स्थान के बदलने पर वै उसकी सूचना तुरन्त विवेचक को देंगे।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी अग्रिम जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी। इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को प्रेषित की जाये।

दिनांक – 11.06.2026

(संदीपा यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–6/विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि
(यू0पी0एस0ई0बी0), बरेली।
आई0डी0 यू0पी0 6423

Digitally signed by SANDEEPA YADAV
Date: 2026.06.20 16:15:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court